**राजस्थान – सरकार**

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू**

**पीठासीन अधिकारी : श्री अभिषेक खन्ना आई0ए0एस0**

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | दायरा तिथि | आदेश तिथि |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 / 2020 | धारा 12 भरण पोषण अधिनियम | 07.02.2020 | 17.09.2021 |

1. मोहनीदेवी पत्नी श्री प्रभूदयाल जाति प्रजापत उम्र 72 वर्ष
2. प्रभूदयाल पुत्र श्री आशाराम जाति प्रजापत उम्र 72 वर्ष

} निवासीगण बिसाऊ रोड़ चूरू

–प्रार्थीगण–

**बनाम**

1. नोरंगलाल पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति प्रजापत निवासी शास्त्री मार्केट, चूरू
2. जगदीशप्रसाद पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति प्रजापत निवासी न्यू इन्दिरा कॉलोनी, पिपराली रोड़, सीकर

–अप्रार्थीगण–

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007**

**आदेश**

प्रार्थीगण मोहनीदेवी व प्रभूदयाल ने प्रार्थना पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण दम्पत्ति हैं और अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की पुत्र सन्तान हैं। प्रार्थीगण कस्बा चूरू के निवासी हैं जो अब वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं। प्रार्थीगण का पैतृक मकान लाल घण्टाघर के पास रहा है जिसको दोनों अप्रार्थीगण के बांट लिया है जिसके एक हिस्से में अप्रार्थी सं. 1 निवास करता है। अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थीगण व अपना मकान का हिस्सा वर्ष 2006 में विक्रय कर दिया और यह दिलासा देकर कि उक्त रूपयों से सीकर में व्यापार व मकान बनवायेगा तथा प्रार्थीगण को अपने साथ रखेगा तो प्रार्थीगण ने उस पर विश्वास कर लिया। अप्रार्थी सं. 2 थोड़े दिन तो प्रार्थीगण को सीकर ले गया परन्तु उसके चार–छः महीने बाद ही प्रार्थी दम्पत्ति को घर से निकाल दिया जिस प्रार्थीगण इधर उधर रिश्तेदारों परिवारजनों के यहां भटकते रहे। इसके बाद अप्रार्थी सं. 1 के पास गये व भरण पोषण हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 1 भी भरण पोषण में आनाकानी करने लगा तथा ना तो भरण पोषण किया तथा ना ही मकान में रखा। जिस कारण प्रार्थीगण शीर्षक में अंकित निवास पर अपने रिश्तेदार के शरण ले रखी है। प्रार्थीगण दोनों वृद्ध व्यक्ति हैं जिनके प[illegible] नहीं है तथा उम्र के 72 वर्ष पूरे कर चुके हैं। वृद्धावस्था एवं निरन्तर बीमार [illegible] कारण व असहाय होने के कारण प्रार्थीगण का मर्ज और बढ़ गया है। इसलिए प्रा[illegible] को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अप्रार्थी सं. वाहन [illegible] जिससे उसे 5000[illegible] प्रतिमाह आय होती है तथा अप्रार्थी सं. 2 अपने घर प[illegible] बॉयज होस्टल चला[illegible] तथा स्वयं बम्बई में कारोबार कर लाखों रूपये महीने के कमाता है जिनके मुकाबले प्रार्थीगण के पास आय के शून्य साधन हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जावेः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(क) प्रार्थी दम्पत्ति को भरण पोषण व अन्य आवश्यकता पेटे अप्रार्थीगण से चालीस हजार रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण को अपने पास रखें तथा उनकी मातृ पिता तुल्य सम्मानपूर्वक देखभाल, भरण पोषण, इलाज, सेवा–सुश्रुषा करें तथा चूरू में रहने की स्थिति में चूरू में उचित मकान की व्यवस्था करें।

(ग) अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थीगण का मकान जो चूरू में था, जो विक्रय कर सीकर में आवास खरीद लिया, में प्रार्थीगण का आधा हिस्सा सुरक्षित छोड़ देवें व प्रार्थीगण को कब्जा दे देवें तथा उसमें दखल न करें तथा कब्जा उपयोग, उपभोग अन्तरण में बाधा कारित न करें, ना करावें।

(घ) प्रार्थीगण को अन्य सामाजिक, पारिवारिक कपड़े लत्ते, चारों धाम की तीर्थयात्रा सहित धार्मिक जरूरतों हेतु पांच लाख रूपये एकमुश्त अप्रार्थीगण से दिलवायी जावे।

(ङ) अन्य अनुतोष हितकर हो या हो जावे वो भी प्रदान करवाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थीगण उपस्थित आये। दोनों अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने पैतृक मकान के अपनी मर्जी से हिस्से करके अप्रार्थी सं. 1 को उसका हिस्सा सौंप दिया तथा अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 को दे दिया जिसे अप्रार्थी सं. 2 ने विक्रय कर सीकर में मकान खरीद लिया तथा तीन मंजिला मकान बना कर उसमें हॉस्टल, पी.जी. आदि की व्यवस्था कछात्र–छात्राओं की जाकर आर्थिक रूप से सम्पन्न हो गया। प्रार्थीगण का भरण पोषण अप्रार्थी सं 2 द्वारा ही किया जाना था किन्तु पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ कर प्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा कर उनको घर से निकाल दिया। अप्रार्थी सं. 2 की त्रुटि के कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। अप्रार्थी सं. 2 स्वयं व्यापार के सिलसिले में बम्बई में निवास कर रहा है तथा अप्रार्थी सं. 2 की पत्नी ने पीछे से लड़ाई झगड़ा करके अप्रार्थी सं. 2 के सहयोग से प्रार्थीगण को घर से निकाल रखा है। मुझ अप्रार्थी सं. 1 के कोई गाड़ियों का काम नहीं है बल्कि वह दूसरों की गाड़ी पर ड्राईवरी का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी सं. 1 ने विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थीगण प्रभूदयाल ने अपनी सभी प्रकार की सम्पत्ति व नकदी (चल व अचल सम्पत्ति) के कुल तीन हिस्से किये थे जिसमें एक हिस्सा अपन पास, दूसरा व तीसरा हिस्सा अप्रार्थ्री सं. 1 व 2 को दिया। अप्रार्थी सं. 1 को चूरू के मकानात व खेत आदि दिे गये तथा अप्रार्थी सं. 2 ने सीकर में मकान लेने व व्यापार आदि का कहकर अ[illegible] पिता को विश्वास में लेकर अपने पिता के हिस्से को भी ले लिया [illegible] के लिए सीकर ले गया। प्रार्थीगण ने उस पर विश्वास [illegible] का हिस्सा व नगद रूपये अपने पुत्र जगदीश को दे दिया। जब उसको यह पता ल[illegible] कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है तब उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज करते हुए अप्रार्थी सं. 2 व उसकी पत्नी ने प्रार्थीगण को घर से निकाल दिया जबकि प्रार्थीगण का हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 को दिये जाने के कारण उनके रहवास, देखभाल, सेवा सुश्रुषा, ईलरज, मेडिकल सुविधा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चूरू

जिम्मेवारी अप्रार्थी सं. 2 ने ली थी। सामाजिक पंचायती के अनुसार राजीनामे समझौता में यदि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपना हिस्सा व प्रार्थीगण से प्राप्त नकदी वापस दिये जाने की सूरत में प्रार्थीगण को किसी प्रकार से भरण पोषण आदि की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 2 से दिलवाई जावे। माननीय न्यायालय के सामने वास्तविकता रखने के बाद भी यदि माननीय अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध भरण पोषण प्रार्थीगण को दिये जाने हेतु आदेशित करता है तो अप्रार्थी सं. 1 उसके पूरी तरह से निर्णित राशि प्रार्थीगण को दिये जाने हेतु तैयार है तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेगा।

अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में यह गलत अंकित किया है कि 2006 में विक्रय किये गये मकान की राशि अप्रार्थी सं. 2 जगदीश ले गया है तथा उस राशि से किसी प्रकार का तीन मंजिला मकान बनाया हो, मकान बनाने के चार छः महीने बाद प्रार्थीगण को घर से निकाल दिया हो जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 बहुत ही लालची व होशियर किस्म का व्यक्ति है, उसने प्रार्थी सं. 2 से लड़ाई झगड़ा करके सन् 2006 में घर से निकाल दिया तथा पुश्तैनी मकान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया तथा मकान को बातचीत करके बनवारीलाल चोटिया को विक्रय कर दिया तथा सारी राशि अपने पास रख ली, उक्त बेचान प्रार्थीगण द्वारा ही किया गया था जिसमें अप्रार्थी सं. 2 का कोई सरोकार नहीं रहा है। उक्त राशि हड़पने से अप्रार्थी सं. 1 का लालच और बढ़ गया तथा उसने थोड़े दिन बाद कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 ने आधी भूमि विक्रय कर दी जिसका पता भी प्रार्थीगण को रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ने कोल्यूजन कर रखा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 को कहा कि नोरंगलाल बदमाश किसम का व्यक्ति है जो झगड़ा करता है। इस कारण यह जगह छोड़कर दूसरी जगह शान्ति से रह रहा है। प्रार्थीगण 2006 से लगातार अप्रार्थी सं. 2 के पास रह रहे हैं तथा अप्रार्थी सं. 2 के बच्चों के विवाह शादी अन्य उत्सव में लगातार शरीक हो रहे हैं। अप्रार्थी सं. 2 ही प्रार्थीगण की सेवा करते हैं, समय समय पर आवश्यकतानुसार अस्पताल में दिखाते हैं, ईलाज करवाते हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने कठोर मेहनत करके व अपनी पत्नी के नाम से ऋण लेकर सीकर में मकान बनाये थे जिसकी किश्तें अभी चल रहीं हैं। बिसाउ रोड़ पर प्रार्थीगण का कोई मकान नहीं है। सन् 2006 से किसी रिश्तेदार यहां भी नहीं रहे हैं। लड़ाई झगड़े की स्थिति में कोई रिश्तेदार किसी को नहीं रखता है। नोरंगलाल ने व सुरेश प्रजापत ने आपस में साज व षड़यन्त्र करके उक्त प्रार्थना पत्र पेश करवाया है। प्रार्थीगण को सन् 2006 से लगातार अप्रार्थी सं. 2 व उसके परिवारवालों ने बहुत ही प्यार एवं [illegible] से रखा, लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व सुरेशकुमार ने गुमराह कर यह प्रार्थना पत्र [illegible] करवाया है। यह तथ्य भी गलत अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पास [illegible] कोई [illegible] न हो, रहने को मकान न हो, उन्हें 10000–10000 प्रतिमाह भरण पोषण की आवश्यकता हो जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थीगण ने अपना पुश्तैनी आधा मकान व खेत का विक्रय किया, उसकी राशि ब्याज पर प्राईवेट व्यक्तियों को दे रखी है जिससे मासिक रूप से करीब 30000 रूपये की आमदनी होती है। प्रार्थीगण को 1500 रूपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेन्शन मिलती है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अलावा प्रार्थी सं. 2 ने शास्त्री मार्केट में पांच दुकानें बेची थी, जिसकी धनराशि भी प्रार्थीगण के पास ही थी, जिसमें से कुछ धनराशि नोरंगलाल को दे दी थी। प्रार्थी सं. 2 शुरू से ही शराब पीते हैं तथा नोनवेज खाते हैं। शराब पीकर बेवजह गालियां निकालते हैं। फिर भी अप्रार्थी सं. 2 ने अपने पिता की सारी बुरी बातों को नजरअन्दाज कर उनकी सेवा की जा रही है तथा पुत्र होने का दायित्व पूर्णतया निभाया जा रहा है जिसमें कभी कोई लापरवाही नहीं बरती है। उक्त प्रकरण भरण पोषण के दायरे में नहीं आता है। प्रार्थीगण ने यह तथ्य गलत अंकित किया है कि जगदीश के घर ब्वॉयज हॉस्टल चलता है तथा मुम्बई में उसका कारोबार है या दिनांक 31.12.2009 को किसी प्रकार की पंच पंचायती हुई है। वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 की पत्नी रूकमणी ने फुलट्रीन बैंक से ऋण लेकर सीकर में मकान बनाया था। जगह छोटी होने के कारण छत पर सुविधा तैयार की गई थी, जो कि मंजिल की श्रेणी में नहीं आती। अप्रार्थी सं. 2 के घर में पढने वाली लड़कियां रही हैं ऐसी स्थिति में लड़कों को रखना, घर में हॉस्टल संचालित करना सम्भव नहीं रहा है। पंच पंचायती करने वाले व्यक्तियों के नाम पते अंकित नहीं किये हैं जिससे यह स्पष्ट है किसी प्रकार की पंचायती नहीं हुई। विशेष कथन में उपरोक्त अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 2 ने अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाया है। कभी कोई लापरवाही नहीं बरती है। प्रार्थीगण की मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण सुरेश प्रजापत व नोरंगलाल द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये अप्रार्थी सं. 2 को बदनाम करने के लिये तथा अप्रार्थी सं. 2 को चूरू न्यायालय में बुलाने के लिये खर्चे से जेरबार करने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 उसके पुत्रगण हैं जिनके पास आय के पर्याप्त स्रोत हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पुत्र होने से दोनों पुत्रों का यह नैतिक दायित्व एवं कर्त्तव्य बनता है कि वे अपने माता–पिता की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल करें। प्रार्थनापत्र के साथ पेश छाया चित्रों से यह तथ्य परिलक्षित हो रहा है कि प्रार्थीगण अपने पुत्र जगदीश के साथ रहते हैं जो प्रार्थीगण की देखभाल करता है। प्रार्थीगण के अनुसार वर्तमान में अप्रार्थी सं. 2 जगदीश ने उनको घर से निकाल दिया है तथा भरण पोषण नहीं कर रहा है। प्रार्थीगण को 1500/– रू0 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेन्शन मिलती है जो भरण पोषण के लिये पर्याप्त नहीं है। प्रार्थीगण के दोनों पुत्रों नोरंगलाल व जगदीशप्रसाद के पास आय के पर्याप्त साधन हैं। अप्रार्थीगण के पास पर्याप्त साधन होते हुए भी वे अपने नैतिक दायित्वों एवं कर्त्तव्यों को पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिये यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि वे 1500 रूपये मासिक पेन्शन से अपना गुजारा कर सकें। इसलिए प्रार्थीगण की वृद्धावस्था को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में प्रत्येक प्रार्थी को प्रत्येक अप्रार्थी सं. 1 व 2 से 4000/–, 4000/– रू. प्रतिमाह दिलावाया जाना हम न्यायोचित मानते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

## आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को आदेश दिया जाता है कि वह माह अक्टूबर, 2021 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 4000/–, 4000/– रू. प्रतिमाह की दर से प्रार्थी सं. 1 मोहनी देवी के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पिपराली रोड़ सीकर के खाता सं. 51060100002296 एवं प्रार्थी सं. 2 प्रभूदयाल के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पिपराली रोड़ सीकर के खाता सं. 51060100001131 में जमा करवायें। अप्रार्थी सं. 2 को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को अपने पास रखे, उनकी सार–सम्भाल करे तथा उन्हें घर से बेदखल न करे। यदि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के पास रहने आते हैं तो अप्रार्थी सं. 1 उन्हें अपने पास रखकर सार–सम्भाल करे तथा मना नहीं करे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आदेश आज दिनांक 17.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

( अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
भरण–पोषण अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:26 IST
Reason: SelfAttested